Public Debt and its types
सार्वजनिक ऋण एवं इसके प्रकार

वर्तमान समय में लोककल्याणकारी राज्यों के विकास के कारण सरकारी व्ययों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी है जिसे पूरा करने के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था बनाती है। लेकिन इन व्ययों की पूर्ति जब सरकारी आय से नहीं होता तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है जिसे सार्वजनिक ऋण कहते है।

सार्वजनिक ऋण की विभिन्न किस्में निम्नलिखित है —

1. आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (Internal and External debt)

आन्तरिक ऋण वे ऋण होते है जो देश के ~~भीतर~~ अन्दर देश के नागरिकों, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त किये जाते है।

जब कि बाह्य ऋण विदेशी सरकारों विदेशी व्यक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त किये जाते है।

2. उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण — (Productive and un-productive Debt)

उत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते है- जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जिनसे आय प्राप्त होती है जैसे कि रेलवे, बिजली, सिंचाई की योजनाएं।

अनुत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते है जो ऐसी परियोजनाओं में लगाये जाते है जिनसे आय प्राप्त नहीं होती जैसे युद्ध, बाढ़, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेन्शन आदि।

Scanned with CamScanner

3. शोध्य तथा अशोध्य ऋण (Redeemable and Irredeemable Debt)

शोध्य ऋण उन ऋणों को कहते हैं जिनके बारे में सरकार यह वायदा करती है कि वह उन्हें एक निश्चित तिथि पर ब्याज सहित अदा कर देगी। शोध्य ऋणों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋण 3 से 9 माह की अवधि के बीच परिपक्व हो जाते हैं जैसे- राजकोष पत्र (Treasury bills) मध्यकालीन ऋण पांच वर्ष बाद परिपक्व होते हैं और दीर्घकालीन ऋण वे हैं जिनका भुगतान 10 से 15 वर्षों के बीच होती है। इसपर ब्याज दर ऊंची होती है।

अशोध्य ऋण वह होता है जिसे सरकार लेती है किन्तु वापस करने का कोई वादा नहीं करती है। अशोध्य सार्वजनिक ऋण पर सरकार निश्चित रूप से ब्याज अदा करती है किन्तु मूलधन वापस नहीं करती इसलिए Irredeemable Public debt को Perpendicular Public debt भी कहा जाता है।

4. निधिजन्य तथा अनिधिजन्य ऋण (Funded and unfunded Debt)

निधिजन्य ऋण दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इन ऋणों की अदायगी या तो कम से कम एक वर्ष बाद की जा सकती है अथवा यह भी हो सकता है कि इस सम्बन्ध में बिल्कुल ही वायदा न किया जाय।

जबकि अनिधिजन्य ऋण वे ऋण

होते है जिनका भुगतान एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाता है। राजकोषीय बांड (Treasury bonds) अनिश्चितकालीन ऋण होते है। क्योंकि ये तीन या छः माह के लिए दिए जाते है।

5. ऐच्छिक और अनिवार्य ऋण
(Voluntary and Compulsory debt)

सरकारी ऋण सामान्यतः ऐच्छिक प्रकृति के होते है। बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रयत्न के जो ऋण सरकार को मिल जाते है उन्हें ऐच्छिक ऋण कहा जाता है।

जबकि अनिवार्य ऋण दबाव से वसूल किये जाते है। जब सरकार को ऋणों की आवश्यकता होती है और उसे आसानी से ऋण प्राप्त नहीं होता तो सरकार दबाव डालकर ऋण वसूल करने का प्रयत्न करती है। सरकार ऐसा भी तभी करती है जब उनके सामने राष्ट्रीय संकट होता है। आमतौर पर अनिवार्य सार्वजनिक ऋण पर ब्याज तुलनात्मक रूप में अधिक रहता है इसलिए ऐच्छिक सार्वजनिक ऋण मिलना सरल होता है।

6. ब्याज सहित और ब्याज रहित ऋण
(With Interest and Without Interest debt)

ब्याज सहित ऋणों पर सरकार निश्चित अवधि के पश्चात, ऋणदाताओं को निश्चित अवधि के पश्चात ऋणदाताओं को निश्चित दर से ब्याज देती है जबकि ब्याजरहित ऋणों पर सरकार को कोई

Scanned with CamScanner

ब्याज नहीं देना पड़ता। आज कोई भी सरकार बिना ब्याज के ऋण नहीं लेती है। प्राचीन काल के शासकों के द्वारा बिना ब्याज का ऋण लिया जाता था।

7. क्रय योग्य व अक्रय योग्य ऋण (Perchasable and Non-Perchasable Debt)

क्रय योग्य ऋण वे ऋण हैं जिनमें ऋण पत्र खुले बाजार में खरीदे व बेचे जाते हैं जैसे - सरकारी प्रतिभूतियाँ। अक्रय योग्य ऋण वे होते हैं जिन्हें खुले बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है परन्तु पुनर्निर्धारित दरों पर केवल सरकार के हाथ ही बेचा जा सकता है जैसे - डाकखाने का बचत ऋण पत्र।

8. कुल ऋण एवं शुद्ध ऋण (Total debt and Net debt)

किसी भी समय विशेष पर सरकार के जितने ऋण होते हैं उन सबके योग को कुल ऋण कहा जाता है। कुल ऋण में से ऋणशोधन के लिए कोष में जमा की गयी राशि को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध ऋण कहा जाता है।

9. अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण (Short term and Long term Debt)

जब सरकार अल्प काल के लिए ऋण लेती है तो उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। इन ऋणों को एक वर्ष की अवधि में वापस कर दिया जाता है।

Scanned with CamScanner

जब सरकार दीर्घ काल सर्वे समय के लिए ऋण लेती है तो दीर्घकालीन ऋण कहते है। इन्हे लौटाने का कोई समय निश्चित नही होता है लेकिन जबतक ऋण का भुगतान नही किया जाता तबतक ऋणदाता को ब्याज मिलता रहता है।

इसप्रकार I.K. Mehta का कहना है कि "सार्वजनिक ऋण एक दूसरे से भिन्न होते है क्योकि उनका आधार अलग अलग होता है। इनमे यह अन्तर बाजार, ब्याज, ऋण चुकाने के ढंग, आदि के कारण होता है।

—×—

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College

Scanned with CamScanner